कुलपति पद पर नियुक्ति संबंधी विज्ञापन लिया वापस

शिमला, 12 अगस्त (ब्यूरो)।

प्रदेश सरकार ने कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के दो पदों को भरने के लिए राज्यपाल सचिवालय द्वारा जारी किए विज्ञापन वापस ले लिए हैं।

सरकार ने विज्ञापन वापस लिए जाने के संबंध में तर्क देते हुए कहा कि सक्षम प्राधिकारी ने यह विज्ञपान जारी नहीं किया है तथा राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान संशोधन विधेयक का मसविदा पेश किया जाएगा। अधिसूचना में कहा गया कि पालमपुर स्थित चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय और नौणी (सोलन) स्थित डा यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपतियों के चयन की प्रक्रिया राज्यपाल सचिवालय द्वारा शुरू की गई। चयन समिति के गठन की अधिसूचना क्रमशः 15 मई और 21 जून को जारी की गई, जिसके बाद राज्यपाल के सचिव शिव प्रताप शुक्ल ने 21 जुलाई को विज्ञापन जारी किया। अधिसूचना में कहा, 'वर्ष 2023 के विधेयक नंबर 14 पर चर्चा के दौरान विज्ञापन जारी करने का मुद्दा सामने आया। यह तय किया गया कि राज्यपाल सचिवालय से अनुरोध किया जाए कि विज्ञापन वापस ले लिया जाए क्योंकि चयन समिति के गठन की अधिसूचनाएं हिमाचल प्रदेश कृषि, बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 के धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार नहीं हैं, और विज्ञापन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया था।'

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda

बैंक ऑफ बड़ौदा: मंडी डबवाली शाखा,

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

(प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8(1) के साथ के पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

चूंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनःनिर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कथित नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर 24.05.2025 तक **12,10,634.47 रुपये** (बारह लाख दस हजार छह सौ चौंतीस रुपए और सैंतालीस पैसे मात्र) अनुबंध दर पर आगामी ब्याज के साथ-साथ भुगतान की तिथि तक लागत, शुल्क और व्यय की अदायगी के लिए (उधारकर्ता) **श्री ललित कुमार गोयल पताः वार्ड नं. 4, नई डबवाली (277), मंडी डबवाली, सिरसा-125104, श्रीमती आरती पत्नी ललित कुमार गोयल (सह-उधारकर्ता) पताः वार्ड नं. 4, नई डबवाली (277), मंडी डबवाली, सिरसा**-125104 को डिमांड नोटिस दिनांक 04.06.2025 जारी किया था।

कर्जदार द्वारा राशि की अदायगी करने में असफल रहने पर कर्जदार व सामान्य तौर पर जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन नियमों, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए कथित अधिनियम की धारा 13 व उप धारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **11 अगस्त, 2025** को यहां नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है।

कर्जदार/गारंटर/रेहनकर्ता का विशेष तौर पर व आम जनता को सामान्य तौर पर सम्पत्ति के साथ लेन-देन करने से एतद्द्वारा सावधान किया जाता है और सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन देन 31.07.2025 तक **12,32,861.74** रुपये (बारह लाख बत्तीस हजार आठ सौ इकसठ रुपए और चौहत्तर पैसे मात्र) तथा अनुबंध दर पर आगामी ब्याज के साथ-साथ भुगतान की तिथि तक लागत, शुल्क और व्यय के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदारों के ध्यान में लाया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिभूतित परिसंपत्तियों को मुक्त करवाने के लिए समय उपलब्ध है।

अचल संपत्ति का विवरण

वार्ड नं. 4, नाथू राम वाली गली, पब्लिक क्लब के पास, गांधी बस्ती, मंडी डबवाली-125104 में स्थित आवासीय मकान का समतुल्य बंधक। संपत्ति की सीईआरएसएआई आईडी-400077802087 है।

दिनांकः 11.08.2025 **स्थानः** सिरसा **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा**

Ind-Swift

Ind-Swift Laboratories Ltd.

Regd. Off.: SCO 850, Shivalik Enclave, NAC Manimajra, Chandigarh - 160101 | Ph: +0172-2730503, 2730920
Website: www.indswiftlabs.com | CIN L24232CH1995PLC015553

STATEMENT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2025

The audited Standalone & Consolidated Financial Results of the company for the quarter and financial year ended 31st March, 2025 ('Financial Results') have been reviewed and recommended by the Audit Committee and were approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on August 11, 2025. The Financial Results along with the Auditor Reports, have been posted on the Company's website at www.indswiftlabs.com and can be accessed by scanning the QR Code below:

Date: 12.08.2025
Place: Chandigarh

For Ind Swift Laboratories Limited
Sd/-
N.R. Munjal
Chairman & Managing Director

पठानकोट-चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध

मणिमहेश यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी

शिमला, 12 अगस्त (ब्यूरो)।

प्रदेश के कई हिस्सों में बहुत भारी बारिश हुई है। भारी बरसात के कारण भूस्खलन हुआ और पेड़ उखड़ गए, जिसके कारण दो राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 332 सड़कें वाहनों के आवागमन के लिए बंद हो गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि शिमला में पेड़ों की चपेट में आने से तीन से चार वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। टूटीकंडी इलाके में लगभग छह पेड़ गिर गए, जबकि विकास नगर में एक पेड़ गिरने से एक इमारत की छत को नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश के कारण चंबा-पठानकोट राजमार्ग धसने से वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। आम लोगों के साथ-साथ मणिमहेश यात्रा पर आए श्रद्धालुओं को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-305 का हिस्सा औट-सैंज मार्ग, खाब से ग्राम्फू (राष्ट्रीय राजमार्ग-505) और हाटकोटी से पांवटा साहिब (राष्ट्रीय राजमार्ग-707) तक और कुल 398 सड़कें वाहनों के आवागमन के लिए बंद हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार मंडी में 213 व कुल्लू में 85 सड़कें अवरुद्ध हैं। चंबा-पठानकोट राजमार्ग दुनेरा के पास धंस गया, जिससे सड़क बंद हो गई।

स्थानीय मौसम विभाग ने बुधवार और गुरुवार को पांच बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की नारंगी चेतावनी जारी की है। राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी हो रही है। नगरोटा सूरियां में 180.2, गुलेर में 161.2, घमरूर में 112.2, नादौन 78.5, देहरा गोपीपुर में 76.2, जोगिंदरनगर में 74, कांगड़ा में 73.8, भरेरी में 70.2, पालमपुर में 69, सुजानपुर टीरा में 66, शिलारू में 54, नेरी में 48.5, शिमला में 45.6 और धर्मशाला में 42.5 मिलीमीटर बारिश हुई।

दैनिक उपभोग की वस्तुओं व सब्जियों की आपूर्ति पर भी असर

धर्मशाला : भारी बारिश से दुनेरा के नजदीक मंगलवार सुबह बीस मीटर सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंसने से चंबा-पठानकोट राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। राजमार्ग धंसने के बाद पंजाब से रोजाना चंबा और कांगड़ा जिले में आने वाले दैनिक उपभोग की वस्तुओं व सब्जियों इत्यादि की आपूर्ति पर भी असर पड़ा है जबकि इससे आम लोगों के साथ-साथ मणिमहेश यात्रा पर आए श्रद्धालुओं को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क बहाली की कोशिशें तेज कर दी हैं मगर क्षेत्र में निरंतर हो रही बारिश से काम में बाधा हो रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों का दावा है कि देर शाम तक छोटे वाहनों के लिए सड़क को एकतरफ यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। चुराह घाटी में तरेला-बौदेड़ी-मार्ग भी भूस्खलन से जुनास घारे के नजदीक समीप बंद होने से यहां भी आवाजाही ठप है।

चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बाधित

मंडी : मंडी-कुल्लू मार्ग पर जोगणी मोड़ के पास सोमवार रात लगभग 9 बजे पहाड़ से पत्थर गिरने के कारण चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। लगातार पत्थर गिरने के खतरे को देखते हुए मार्ग को रातभर बंद रखा गया। जानकारी के अनुसार रात को पत्थर गिरने की सूचना मिलते ही पंडोह पुलिस ने दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही को रोक दिया ताकि किसी तरह की जनहानि न हो। भारी भरकम मलबा और पत्थर पहाड़ से गिर रहे हैं। यह भूस्खलन जोगणी माता मंदिर के सामने हुआ है, जिससे मंदिर को भी नुकसान हुआ है। मंगलवार सुबह करीब पांच बजे लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी मशीनरी के साथ मौके पर पहुंचे और मलबा हटाने का कार्य शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद सुबह लगभग सात बजे राजमार्ग को बहाल किया गया। पंडोह चौकी प्रभारी अनील कटोच ने बताया कि फिलहाल मार्ग सुचारू है, लेकिन कई स्थानों पर सड़क पर एकतरफा आवाजाही चल रही है। वाहन चालकों से अपील की कि यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतें।

हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्ति के आदेश रद्द किए

शिमला, 12 अगस्त (एजंसी)।

प्रदेश उच्च न्यायालय ने लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय (एसएलबीएसजीएमसी) नेर चौक में एनाटामी विभाग की प्रोफेसर और प्रमुख सुशीला राणा को सेवानिवृत्त करने वाले सरकारी आदेशों को रद्द कर दिया है और राज्य को 68 वर्ष की आयु तक सेवा विस्तार के मामले पर विचार करने का आदेश दिया है, जैसा कि अन्य समान पदस्थ संकाय सदस्यों को दिया गया है।

न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने फैसला सुनाते हुए 17 फरवरी, 28 फरवरी 2022 और छह मार्च 2025 के राज्य के आदेशों को रद्द कर दिया और उन्हें भेदभावपूर्ण और दिसंबर-2021 और दिसंबर-2023 में जारी नीतिगत फैसलों के विपरीत करार दिया। न्यायालय ने पाया कि डा राणा को पहली बार 2017 में इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल शिमला से एसएलबीएसजीएमसी नेरचौक में 65 वर्ष तक पदोन्नति और सेवा के आश्वासन के साथ प्रतिनियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें नियमित संकाय सदस्य के रूप में शामिल किया गया और प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किया गया।

> **सरकार** को सुशीला राणा के 68 साल तक सेवा विस्तार पर विचार करने का आदेश दिया।

हालांकि, नीतिगत संशोधनों द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 68 वर्ष करने के बावजूद उन्हें 2022 में 62 वर्ष की आयु में और फिर 2025 में 65 वर्ष की आयु में उनकी याचिका के लंबित रहने के दौरान, न्यायालय की अनुमति के बिना अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया। न्यायमूर्ति शर्मा ने राज्य के आचरण की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह उन्हें 68 वर्ष का लाभ प्राप्त करने से रोकने का जानबूझकर किया गया प्रयास है, खासकर जब समान सेवा प्रोफाइल वाले अन्य प्रोफेसरों को सेवा विस्तार दिया गया था। न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा संकाय की भारी कमी का भी उल्लेख किया, जहां खाली पदों पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग दंड का प्रावधान करता है, जिससे सेवा विस्तार से इनकार करना 'अतार्किक और अनुचित हो जाता है। न्यायालय ने आदेश दिया कि डा राणा को निरंतर सेवा में माना जाए और सरकार को निर्देश दिया कि वह उनके कार्यकाल को 68 वर्ष तक बढ़ाने पर नए सिरे से निर्णय ले, जैसा कि समान पदों पर कार्यरत अन्य लोगों के मामले में किया गया था।

सड़क हादसे में दो नेपाली नागरिकों की मौत

कुल्लू, 12 अगस्त (जनसत्ता)।

पुलिस थाना आनी के अंतर्गत खैनवी कैंची के पास सोमवार देर रात सड़क हादसे में दो नेपाली नागरिकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि चालक समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

पुलिस उपाधीक्षक आनी चंद्रशेखर के अुनसार कदैरना निवासी बिदु राम ने बताया कि 11 अगस्त की पिकअप में सेब की पेटियां लेकर लाफूघाटी के लिए रवाना हुआ था। गाड़ी को संजीव कुमार चला रहा था, जबकि उसके साथ तीन नेपाली नागरिक प्रकाश ओली, दीपक खडगा और तिलक बहादुर सवार थे। खैनवी कैंची के पास चालक गाड़ी पर नियंत्रण खो बैठा। वाहन लगभग 100 मीटर नीचे मार्ग पर जा गिरा। हादसे में प्रकाश ओली और तिलक बहादुर की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल चालक संजीव कुमार को आनी अस्पताल पहुंचाया गया।

INDO FARM EQUIPMENT LIMITED
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY

Registered Office: SCO 859, NAC Manimajra, Chandigarh-Kalka Road, Chandigarh – 160101
Ph.:0172-2730060, E-mail: compliance@indofarm.in, Web: www.indofarm.in
CIN: L29219CH1994PLC015132

Extract of Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2025

(Rs. in Lakhs)

Sr. No.	PARTICULARS	Standalone			Consolidated		
		30.06.2025	30.06.2024	31.03.2025	30.06.2025	30.06.2024	31.03.2025
		Quarter Ended		Year Ended	Quarter Ended		Year Ended
		(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from Operations (Net)	9125.81	6954.27	36,676.99	9,626.11	7495.94	38,718.92
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax and Exceptional Items)	639.18	336.59	2,494.19	751.91	374.48	2,616.54
3	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax (after Exceptional Items)	639.18	336.59	2,494.19	751.91	374.48	2,616.54
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional Items)	458.36	220.27	2,261.48	543.37	245.43	2,354.68
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	458.36	226.07	2,261.44	543.37	251.22	2,354.64
6	Equity Share Capital	4,805.16	3,945.16	4,805.16	4,805.16	3,945.16	4,805.16
7	Other Equity	47,196.76	28,756.25	46,738.40	48,872.93	30,279.35	48,329.56
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (Not Annualized) - Before Exceptional Items						
	- Basic	0.95	0.56	5.48	1.13	0.63	5.70
	- Diluted	0.95	0.56	5.48	1.13	0.63	5.70
9	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (Not Annualized) - After Exceptional Items						
	- Basic	0.95	0.56	5.48	1.13	0.63	5.70
	- Diluted	0.95	0.56	5.48	1.13	0.63	5.70

Note:
1. The above results for the quarter ended 30th June 2025 have been reviewed and recommended by the audit committee and approved by the board of directors at their meeting held on 12th August 2025.
2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly ended Financial Results are available on the Stock Exchanges' websites viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com The same is also available on the company's website viz. www.indofarm.in under the head Investor Relations.

For **Indo Farm Equipment Limited**

Sd/-
Ranbir Singh Khadwalia
Chairman & Managing Director
DIN:00062154

Place: Chandigarh
Date: 12.08.2025

कुल्लू में 1.83 करोड़ रुपए का घोटाला, तीन दोषियों को सजा

फर्जी दस्तावेजों से मंजूर किए थे किसान ऋण

कुल्लू, 12 अगस्त (जनसत्ता)।

पंजाब नेशनल बैंक की ढालपुर शाखा में 1.83 करोड़ रुपए के फसल ऋण (केसीसी) फर्जीवाड़े के मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक समेत तीन दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है।

यह मामला 2010 से 2012 के बीच फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 41 फसल ऋणों की मंजूरी से जुड़ा है, जिसने बैंक के भीतर की कमजोरियों को उजागर किया है। सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश डा परविंदर सिंह अरोड़ा ने इस मामले में तीन दोषियों को सजा सुनाई है। पूर्व शाखा प्रबंधक अमर सिंह बोध को तीन साल कैद और 45 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उसके सहयोगी ताशी फुंचोग और दौलत राम को भी तीन-तीन साल की कैद और 1.10 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि दोषी जुर्माना नहीं चुकाते हैं, तो उन्हें तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह घोटाला तब उजागर हुआ, जब बैंक के आडिट में अनियमितताएं सामने आईं थी। इस मामले की शुरुआत साल 2010 में हुई थी, जब दौलत राम ने 4.5 लाख रुपए के केसीसी ऋण के लिए आवेदन किया था। उसने 2003-05 की पटवारी द्वारा जारी जमाबंदी और अन्य केवाईसी दस्तावेज जमा किए थे। इसके बाद उसके खाते में रकम भेज दी गई थी।

मामले की जांच में पता चला कि पूर्व बैंक प्रबंधक अमर सिंह बोध ने फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए और पटवारी की रपट में भूमि स्वामित्व को गलत तरीके से दिखाया था। दोषियों के खिलाफ 38 अन्य मामलों में फैसला आना अभी बाकी है।

बैंक प्रबंधक भी था शामिल

यह मामला 11 अप्रैल 2015 को सीबीआइ एसीबी शिमला शाखा द्वारा पीएनबी मंडी सर्कल के प्रमुख राजीव खन्ना की शिकायत पर दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि 2010 से 2012 के बीच तत्कालीन बैंक प्रबंधक अमर सिंह बोध ने अपने दो सहयोगियों ताशी फुंचोग और दौलत राम के साथ मिलकर फर्जी राजस्व दस्तावेजों और गैर-भार प्रमाण पत्रों (एनईसी) के आधार पर 41 केसीसी ऋण स्वीकृत किए थे। इन ऋणों की कुल राशि 1.83 करोड़ रुपए थी। जांच में पाया गया कि दौलत राम के आवेदनों पर उसकी तस्वीर तो लगी थी, लेकिन उस पर हस्ताक्षर किसी और के थे। इसके अलावा, जमाबंदी और चार्ज सृजन रपट भी फर्जी पाई गई थी।

PERSONAL

I, Paramjeet Kaur D/o Raj Singh (W/o Pritpal Singh) R/o 810, Raghunath Puri,Tejali Road Jagadhari, Distt Yamunanagar, Haryana, Declare that Jasbir Kaur and Paramjeet Kaur are the name of one and same person. All please note.

0020498333-1

जनजातीय महोत्सव कल से

शिमलाः प्रदेश का पहला 'जीरो वेस्ट' जनजातीय महोत्सव 14 से 16 अगस्त तक लाहौल-स्पीति जिले के केलांग में आयोजित होगा। अधिकारियों ने बताया कि यह आयोजन न केवल क्षेत्र की जीवंत जनजातीय विरासत का जश्न मनाएगा, बल्कि राज्य में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार उत्सवों के लिए एक नया मानदंड भी स्थापित करेगा।